

राजस्थान सरकार
पर्यटन विभाग

क्रमांक: प.2(1)पर्यटन/2006

जयपुर, दिनांक : 28.03.2013

:- अधिसूचना :-

माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान की बजट घोषणाएँ वर्ष 2013-2014 के पैरा संख्या 229 की अनुपालना में पर्यटन इकाई नीति-2007 की कार्यशील अवधि जो कि दिनांक 31.03.2013 को समाप्त हो रही थी, को दिनांक 01.04.2013 से 31.03.2014 तक बढ़ाई जाती है।

आज्ञा से,

(चन्द्र शेखर मूथा)
संयुक्त शासन सचिव

28/3/13

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. आयुक्त, पर्यटन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त जिला कलक्टर, जयपुर।
8. समस्त संबंधित पर्यटन सूचना केन्द्र/स्वागत केन्द्र.....

संयुक्त शासन सचिव